



सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार

प्रेस विज्ञप्ति

संख्या- 220

19/03/2017

श्री शंकर प्रसाद, स्वास्थ्य मंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी
OSD नहीं हैं।

—श्री आर० के महाजन, प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग

पटना, 19 मार्च, 2017 :- श्री आर० के महाजन, प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार ने बताया है कि स्वास्थ्य मंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी श्री शंकर प्रसाद के द्वारा ए०एन०एम० की बहाली में बिहार कर्मचारी चयन आयोग को पैरवी की गई है। यह समाचार तथ्यहीन तथा भ्रामक है।

उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के इस समाचार का पुरजोर खंडन करते हुए बताया कि "स्वास्थ्य विभाग, समाचार पत्रों एवं विभिन्न न्यूज चैनल में प्रकाशित एवं चलाये जा रहे इस समाचार का पुरजोर खण्डन करता है कि शंकर प्रसाद, स्वास्थ्य मंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी **OSD** हैं। श्री शंकर प्रसाद स्वास्थ्य मंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी **OSD** नहीं हैं। इस प्रकार यह समाचार तथ्यहीन एवं भ्रामक है।

वस्तुस्थिति है कि श्री शंकर प्रसाद, भारतीय संचार सेवा **Indian Telecommunication Services** के वरीय पदाधिकारी हैं। इनकी सेवा प्रतिनियुक्ति के आधार पर बिहार सरकार को सौंपी गई है। श्री प्रसाद का पदस्थापन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा स्वास्थ्य विभाग में विशेष कार्य पदाधिकारी **OSD** के रूप में वर्ष 2013 में किया गया है।"
